Annexure - LXXXXIII

संख्याः04 / सू0अ0प्र0 / XXXI(13)G / 2007

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्यसचिव, उत्तराखण्ड शासन
समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ **देहरादून : दिनांक, 18 मई 2007**

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन सम्बन्धी शासनादेश संख्या 177 / XXII / 2005 दिनांक 29 जुलाई, 2005 के प्रस्तर 2 में संशोधन।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की तैयारियों से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 177 / XXII / 2005, दिनांक 29 जुलाई 2005 के प्रस्तर 2 जिसमें विभिन्न लोक प्राधिकारी इकाईयों को स्पष्ट किया गया है को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है।

2. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में धारा 2(ज) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार उत्तरखण्ड राज्य में निम्न सभी इकाईयां लोक प्राधिकारी हैः

(i) सचिवालय के शासन के समस्त विभाग

(ii) शासन के समस्त निदेशालय

विभाग के आकार तथा कार्यों की प्रकृति तथा इन इकाईयों की स्वायत्तता व विभिन्नता के अनुसार निदेशालय की लोक प्राधिकारी इकाईयां निम्न स्तर पर हो सकती हैं–

(अ) मुख्यालय स्तर।

(ब) मण्डल स्तर।

(स) जिला स्तर।

(द) सब–डिवीजन स्तर।

(य) विकास खण्ड स्तर।

(र) स्थानीय / ग्राम स्तर।

(iii) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित प्रत्येक सार्वजनिक निगम, बोर्ड / परिषद, आयोग, संस्थान / अकादमी, प्राधिकरण, अधिकरण, न्यायाधिकरण, स्वायत्तशासी संस्था, फोरम समिति तथा अन्य निकाय जो राज्य

सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी विधियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित (सब्सटेंशियली फ़ाइनेन्स्ड) हैं।

(iv) शहरी क्षेत्र के समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम सम्मिलित हैं।

(v) ग्रामीण क्षेत्र के समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत, वन पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सहकारी समिति, तथा सहकारी संघ सम्मिलित हैं।

(vi) ऐसे गैर सरकार संगठन जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित (सब्सटेंशियली फाइनेन्स्ड) अथवा लाभान्वित है।

भवदीय

(एस0के0 दास)
मुख्य सचिव

संख्या :04 / सू0अ0प्र0 / XXXI (13)G / 2007 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून
2. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0के0 दास)
मुख्य सचिव